



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)


(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमोस्मिफ)

जो 01 अग्रेल 2017 से लागू हुआ।

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं.: 781

दायर दिनांक 05.10.2025 निर्णय दिनांक 05.10.2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खं.न.	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
471	रिणी	571	<p>महोदय जी. निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 के आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। जो 01 अग्रेल 2017 से लागू हुआ।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रिणी प्र.ह. हिगोरिया खाला संख्या ... में वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को शुद्ध किया जाकर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरांमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पुटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	<p>पुटवारी हस्ताक्षर तह.कपासन, जिला</p> <p>गिरदावर</p> <p>मोहर</p> <p>04-10-25</p> <p>तहसीलदार (भू.अ.) कपासन</p>

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला चितौडगाढ